

बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञापन सं.- 54/2020, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, रसायन के कुल 57 (सन्तान) पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है:-

(क)

क्र.सं.	कोटि	कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या	इनमें महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित	20	07
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	06	02
3.	अनुसूचित जाति	11	05
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	11	04
6.	पिछड़ा वर्ग	06	02
7.	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	02	N/A
कुल		57	20

(ख)

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/ नतीनी के लिए आरक्षित (2%) क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत देय कुल पदों की संख्या।	01
----	--	----

(ग)

3. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-13062, दिनांक-12.10.2017 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण देय होगा।		
(i)	दृष्टि बाधित (VI)	00
(ii)	मूक बधिर (DD)	00
(iii)	चलन दिव्यांगता (OH)	01
(iv)	मनोविकार/बहुदिव्यांग	01

2. वेतनमान :- ₹ 57,700.00, वेतन स्तर-10

3. शैक्षणिक योग्यता :- आधारभूत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विषय क्षेत्रों में संकाय के लिए भर्ती और प्रोन्नति हेतु अर्हताएं यूजीसी अधिसूचना सं०-एफ. 1-2/2017 (ईसी/पीएस) दिनांक 18 जुलाई 2018 तथा समय-समय पर यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
The qualifications for recruitment and promotions of faculty in the disciplines of Basic Sciences, Social Science and Humanities shall be as per the UGC Notification no. F. 1-2/2017 (EC/PS) Dated 18th July, 2018 and UGC guidelines issued from time to time.

नोट: 1- यूजीसी एवं AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से मानविकी एवं विज्ञान विषय के लिए Distance Mode/Open University से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य होगी।

नोट: 2- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-16.10.2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

नोट: 3- शैक्षणिक योग्यता में किसी भी तरह की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी में वर्णित योग्यता ही मान्य होगा।

4. उम्र सीमा-दिनांक 01.08.2020 को इच्छुक उम्मीदवारों/आवेदकों की उम्र न्यूनतम 22 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है।

5. चयन का आधार - निम्नलिखित विवरणी के आधार पर चयन किया जायेगा, जिसके लिए वेटेज स्कीम निम्नवत होगा :-

कुल वेटेज-100			
अकादमिक रिकॉर्ड और अनुसंधान निष्पादन (वेटेज-20) Academic Record and Research Performance (Weightage-20 Marks)	कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) द्वारा मूल्यांकन (वेटेज-40) Evaluation of domain knowledge and Teaching Skill through written examination (Objective) (Weightage-40 Marks) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकृति की होगी। इसमें 80 प्रश्न होंगे। परीक्षा की समयावधि 2 घंटे की होगी एवं पूर्णांक 40 अंक होगा।	साक्षात्कार निष्पादन (वेटेज-15) Interview (Weightage-15 Marks)	संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक के लिए (वेटेज-25) For Assistant Professor engaged on Contract Basis (Weightage-25 Marks)
(a) Maximum 10 (10% of Percentage Marks obtained in M.Sc. in relevant branch/Subject). (b) Maximum 5 (5% of Percentage Marks obtained in B.Sc.(Hons). (c) Ph.D-5 अंक	विज्ञान एवं मानविकी के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) के संबंधित कोर विषय का पाठ्यक्रम लागू होगा। For Science and Humanities:- The syllabus of core Subject of National Eligibility Test (NET) conducted by University Grants Commission (UGC) will be applicable.		विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, को 05 अंक प्रतिवर्ष। (अधिकतम-25 अंक) Weightage to candidates working on contract basis on the post of Assistant Professor under Department of Science & Technology and possessing minimum

			eligibility-criteria @ 05 marks per year (Maximum- 25 marks) नोट:- विभागान्तर्गत 07 (सात) अभियंत्रण महाविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यान्वयन कार्यक्रम (TEQIP) के अन्तर्गत अस्थायी Engagement के रूप में नियोजित सहायक प्राध्यापकों पर भी नियमित नियुक्ति में बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली के परिशिष्ट-1 तालिका-2 में प्रावधानित 05 अंक प्रति वर्ष (अधिकतम-25 अंक) अधिमानता मान्य होगी।
--	--	--	--

नोट 1:- (i) संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक के लिए Leap year वाले वर्ष की गणना, साधारण वर्ष (365 दिन) के सामान मानी जायेगी।

(ii) 6 (छः) माह से अधिक की कार्यावधि को पूर्ण वर्ष मानकर वेटेज दिया जायेगा।

नोट 2:- बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमावली नहीं रहने की स्थिति में AICTE द्वारा CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला मान्य होगा।

नोट 3:- विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापक-3/एम0-63/2005 का0-2374, पटना दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-6706 दिनांक-01.10.2008 द्वारा निर्धारित सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चौत्तीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नोट 4:- साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर Short list किया जायेगा।

6. आरक्षण:-

- ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-
 - जाति प्रमाण-पत्र
 - स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में: अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। आवेदन भरने के पश्चात् आरक्षण कोटि में परिवर्तन का दावा मान्य नहीं होगा साथ ही गलत आरक्षण कोटि अंकित करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाईन आवेदन में आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS

- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-13062, दिनांक-12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को इस विज्ञापन की कंडिका 1(ग) में वर्णित में रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन की कंडिका 1(क) में वर्णित में रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन की कंडिका 1(ख) में वर्णित में रिक्ति के अनुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन की कंडिका 1(क) (2) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण देय होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

नोट:- (1) ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संचारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाम देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/ जानकारी/ किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

नोट:- (2) साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र मूल में (Original copy) सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

1. मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
2. स्नातक डिग्री प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
3. स्नातक अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
4. स्नातकोत्तर का प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
5. स्नातकोत्तर का अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
6. पीएचडी प्रमाण-पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
7. यूजीसी एवं AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से मानविकी एवं विज्ञान विषय के लिए Distance Mode/Open University से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण-पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
8. बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला।
9. विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव द्वारा निर्गत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक, जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, से संबंधित प्रमाण-पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
10. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
11. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।
12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
13. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
14. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
15. दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
16. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
17. केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
18. पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
19. हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

7. शुल्क :-

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाम का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	17.09.2020 से 05.10.2020 तक
2.	ऑनलाईन के माध्यम से शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	09.10.2020 तक
3.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	16.10.2020 तक
4.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	22.10.2020 के अपराह्न 05:00 बजे तक

नोट-1: जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।

नोट-2: जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक- 09.10.2020 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।

(ii) ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न हैं।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुरुष अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार डैश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

- (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
- (v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (vi) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (viii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (x) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन अस्वीकृत भी किया जा सकता है।
- (xi) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
- (xii) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाईन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

9. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक-22.10.2020 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना- 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों को स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करेंगे:-
 - (a) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए);
 - (b) स्नातक डिग्री प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कड़िका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप);
 - (c) स्नातक अंक पत्र (विज्ञापन की कड़िका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप);
 - (d) स्नातकोत्तर का प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कड़िका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप);
 - (e) स्नातकोत्तर का अंक पत्र (विज्ञापन की कड़िका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप);
 - (f) पीएचडी/10 प्रमाण-पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
 - (g) अभ्यर्थी, जिनके अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित है, उन्हें अपने बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला प्राप्त कर अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके ग्रेड को AICTE द्वारा ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु प्रदत्त फार्मूला के आधार पर प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
 - (h) यूजीसी एवं AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से मानविकी एवं विज्ञान विषय के लिए Distance Mode/Open University से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण-पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
 - (i) विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव द्वारा निर्गत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक, जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, से संबंधित प्रमाण-पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
 - (j) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र।
 - (k) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
 - (l) अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।

 - (m) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति;
 - (n) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण-पत्र;
 - (o) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।

आवेदक उपर्युक्त सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

 - (ii) यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण-पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश-पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।
10. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
 11. इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।
 12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
 13. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।